राजीव गॉधी मैमोरियल राजकीय महाविद्यालय, जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2012 से 31.3.2015 तक

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। निपटारे हेतु विशेष पग उठाए जाएं तथा निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन मे सम्मिलित अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नानुसार हैं।

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/94 से 3/98

1	पैरा–3 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–3 (ख) (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (क) 19, 21, 22	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (ख) 3, 4	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा–5 (ण)	अनिर्णीत
7	पैरा–5 (च) 3 से 7	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/2000

1	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–8	अनिर्णीत
3	पैरा–9	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2003

1	पैरा–4 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (5)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत
5	पैरा–8	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/03 से 3/2006

1	पैरा–4 (1)	निर्णीत	(i) पैरा 4 (1) विश्वविद्यालय निधि की सावधि जमा राशि को क्रम संख्या 7 में पुनः प्रारूपित किया
2	पैरा–4 (2)	निर्णीत	(ii) पैरा 4 (4) 2 ब्याज ₹2253 रोकड़ बही पृष्ठ 42 में दर्शित है।
3	पैरा–5	अनिर्णीत	
4	पैरा–6	आंशिक निर्णीत	(₹5000 क्रम संख्या 3 के 27.6.11 को जमा किये गये)
5	पैरा–7	अनिर्णीत	
6	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत	
7	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2012

1	पैरा–3	निर्णीत
2	पैरा–4 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा–5	अनिर्णीत
6	पैरा–6	अनिर्णीत
7	पैरा–7	अनिर्णीत
8	पैरा–8	अनिर्णीत
9	पैरा–9	अनिर्णीत

10	पैरा–10	अनिर्णीत
11	पैरा–11	अनिर्णीत
12	पैरा–12	अनिर्णीत
13	पैरा–13	अनिर्णीत
14	पैरा–14	अनिर्णीत
15	पैरा–15	अनिर्णीत
16	पैरा–16	अनिर्णीत
17	पैरा–17	अनिर्णीत

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजीव गांधी मैमोरियल, राजकीय महाविद्यालय, जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी के छात्र निधि लेखाओं अवधि 1.4.2012 से 31.3.2015 तक का अंकेक्षण श्री चन्द्रेश हाण्डा, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) तथा श्री ध्रुव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18.5.2015 से 18.6.2015 तक के दौरान सम्पन्न किया गया। विस्तृत जाँच हेतु आय के लिये माह 6/12, 6/13 व 6/14 तथा व्यय के लिये माह 11/12, 10/13 व 3/15 के लेखाओं का चयन किया गया, जिनके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत्त रहे।

क्र0सं0	नाम	पद	अवधि
1	श्री आर0पी0 ठाकुर	प्राचार्य	1.4.12 से 30.4.14
2	श्री एस0 चन्देल	प्राचार्य	27.7.14 से 31.3.15

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण प्राचार्य द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख व सूचनाओं के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, प्राचार्य द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना एवं सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण पाई गई किसी भी प्रकार की अनियमितताओं के लिये जिम्मेवार नहीं होगा। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का दायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

महाविद्यालय के छात्र निधि लेखाओं अवधि 1.4.2012 से 31.3.2015 तक के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹24000/– (चौबीस हजार रूपये मात्र) बनता है। प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट संख्या 139934 दिनाँक 10.6.15 के द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

राजकीय महाविद्यालय जोगिन्द्रनगर नगर जिला मण्डी के निधि लेखाओं अवधि 4/12 से 3/15 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है। जिसका निधिवार ब्यौरा परिशिष्ट "क" में दिया गया है।

Year	OB	Receipt	Total	Exp.	Closing Balance
2012.13	5421304	2529950	7951254	1561258	6389996
2013.14	6389996	3388066	9778062	2690082	7087980
2014.15	7087980	5706028	12794008	3797815	8996193

4.1 दिनाँक 31.3.2015 को महाविद्यालय की विभिन्न निधियों का अन्तशेष निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	फण्ड का नाम	खाता नं0	बैंक में राशि	सावधि योजना में निवेशित राशि	हस्तगत राशि	कुल
1	Amalgamated	5339	4432710	1913717	5	6346432
2	University	5332	1439044	135121	1500	1575665
3	Sports	8937	453728	–	शून्य	453728
4	Library	5338	36806	583562	शून्य	620368

(नोट)

4.2 दिनाँक 9.12.13 को 16 निम्नलिखित रोकड़बहियों व बैंक खातों को बन्द कर के इसमें जमा राशियाँ समिश्रित निधि में हस्तांतरित की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	फण्ड का नाम	खाता सं0	रोकड़ बही में जम राशि	एफ0डी0आर0 की राशि	कुल हस्तांतरण
1	Medical	5334	197086	—	197086
2	House Exam.	5335	183227	—	183227
3	Science	5336	396491	764519.50	1161010.50
4	Rover & Ranjer	14789	785105	—	785105
5	Furniture Repair	16084	74075	—	74075
6	Culture Activity	16085	117063	—	117063
7	Garden	16086	42242	—	42242
8	Society Club	16087	70058	—	70058
9	Identity	16088	54184	—	54184
10	NCC	16090	51373	—	51373
11	Magazine	16091	338151	—	338151
12	Student Aids	16093	26718	—	26718
13	Book Replacement	16092	349225	—	349225
14	Compture Practicle	18936	60112	—	60112
15	Computer & Internet	18935	70970	—	70970
16	Camps Development	20106	56684	—	56684
			2872764	**764519.50**	**3637284**

4.3 निवेशः—

अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर महाविद्यालय के निधि लेखों अवधि 1.4.2012 से 31.3.2015 तक विभिन्न निधियों से किये निवेशों का ब्यौरा संलग्न **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है।

4.3 (1) मिश्रित निधि की रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.3.15 को सावधि निवेश की राशि ₹1913717 दर्शाई गई है जबकि परिशिष्ट "ख" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सावधि निवेश विवरणी में मिश्रित निधि से सम्बन्धित सावधि निवेश की राशि ₹1906844 बनती है। अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुए लेखाओं में सुधार किया जाए।

4.3 (2) सावधि निवेश पर टी0डी0एस0 की राशि ₹0.31 लाख की कटौती बारेः—

दिनाँक 31.3.15 तक सावधि निवेश के विवरण (परिशिष्ट ख) के अवलोकन में पाया गया कि मिश्रित निधि व पुस्तकालय निधि से पंजाब नैशनल बैंक की सावधि जमा निवेश की परिपक्वता पर बैंक द्वारा स्त्रोत पर टी0डी0एस0 की राशि ₹31166 की कटौती करने के पश्चात शेष राशि को पुनः निवेशित किया गया। स्त्रोत पर काटी गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से थाः—

निधि का नाम	सावधि खाता सं0	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	पुनः निवेशित राशि	अन्तर/टी0डी0एस0 की राशि
मिश्रित निधि	19503027	8.8.12	1046058	1025050	21008
उपरोक्त	19505029	8.8.12	313824	306951	6873
पुस्तकालय	19506024	8.8.12	209216	205931	3285
			1569098	**1537932**	**31166**

क्योंकि शैक्षणिक संस्थाएं आयकर से मुक्त होती है। अतः राशि ₹31166/— के रिफंड का मामला सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 अस्थाई अग्रिमः—

(क) दिनांक 31.3.2015 को अस्थाई अग्रिम राशि ₹0.58 लाख समायोजन हेतु शेषः—

समिश्रित निधि से वाउचर संख्या 4 माह 9/14 द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु ₹5800/— का अग्रिम आहरण किया था जिसका समायोजन 31.3.2015 तक नहीं किया गया। अग्रिम का समायोजन प्रयोजन की समाप्ति के तुरन्त बाद किया जाना अपेक्षित था। जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व समायोजन लेखों को आगामी लेखा परीक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

(ख) अस्थाई अग्रिमों की शेष राशि को देरी से जमा करने बारेः—

क्रीड़ा व समिश्रित निधि से विभिन्न खेल कूद प्रतियोगिताओं व सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु अग्रिमों का आहरण किया गया लेकिन अग्रिमों से शेष बची राशियाँ देरी से जमा की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	वाउचर संख्या	अग्रिम राशि	उद्देश्य	अग्रिम से शेष जमा राशि	जमा करने की दिनांक
1	96 माह 10/12	12000	14 से 16.10.12 घुमारवीं में बास्केट वाल टूर्नामैन्ट	3252	27.2.13
2	97 माह 10/12	2000	चूने की खरीद	533	27.2.13
3	100 माह 11/12	14000	17 से 20.11.12 कोटखाई में बालीवाल टूर्नामैन्ट	706	27.2.13
4	115 माह 11 /13	25000	16 से 18.11.13 मण्डी में एथलैटिक मीट	2966	12.3.14
5	97 माह 10/13 (समिश्रित निधि)	20000	कोटशेरा में 23 से 26.10.13 तक बालीबाल मैच	7768	16.12.13

नियमानुसार आयोजन समाप्ति के तुरन्त बाद शेष राशियाँ निधि में जमा की जानी अपेक्षित थी। अतः अग्रिमों की शेष राशियो ंको समय पर जमा न करवाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में शेष राशि को प्रयोजन समाप्ति के तुरन्त बाद सम्बन्धित निधि मे जमा करवाना सुनिश्चित करें।

6 हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम से यात्रा छूट का लाभ प्राप्त न कर निधि को ₹7677/– की हानिः–

महाविद्यालय द्वारा निम्न प्रकरणों में निगम की बसों में यात्रा न करने के कारण कुल किराये का 40% यात्रा छूट का लाभ नहीं उठाया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	अग्रिम राशि वाउचर संख्या (समिश्रित निधि)	अग्रिम राशि	विवरण व आने जाने का भुगतान किराया	कुल यात्रा किराया भुगतान	निगम बस से यात्रा न कर निधि के 40% हानि
1	1 माह 9/14	15000	देहरी में यूथ फैस्टिवल (10 छात्र किराया ₹470 प्रति)	4700	1880
2	शून्य माह 9/14	20000	कुल्लू में यूथ फैस्टिवल (15 छात्र x₹378)	5670	2268
3	शून्य माह 10/14	30000	शिमला में यूथ फैस्टिवल (14 छात्रx₹630)	8820	3528
				कुल हानि	**7676**

अतः हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम से यात्रा छूट लाभ प्राप्त न कर निधि को ₹7677/– की हानि हुई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से की जाए।

7 समिश्रित निधि

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ₹22465/–प्रतिपूर्ति हेतु शेष

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एक Peer Team दिनांक 18.4.13 से 20.4.13 तक महाविद्यालय की जांच हेतु आई। पत्राचार में वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बैगलोर द्वारा टीम के आने जाने ठहराव व अन्य व्ययों का भुगतानों आयोग द्वारा किया जाना बताया गया। महाविद्यालय द्वारा Peer team पर व्यय किये जाने हेतु समिश्रित निधि से वाउचर 52 दिनांक 17.4.13 को ₹150,000/– व वाउचर 60 दिनांक 4.9.13 द्वारा ₹9061 कुल ₹159061 का आहरण किया लेकिन आयोग द्वारा दिनांक 5.9.2013 को 136596 की प्रतिपूर्ति की गई।

अतः शेष राशि ₹159061 (–) ₹136596/– =₹22465/– की प्रतिपूर्ति आयोग से की जाये अथवा यह शेष राशि ₹22465 को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये।

(2) समिश्रित निधि से कार्यालय हेतु फर्नीचर खरीद पर ₹27510/– का अनुचित व्ययः–

वाउचर संख्या 64 माह 8/14 द्वारा मै0 विकास स्टील फर्नीचर जोगिन्द्रनगर से 6 नं0 रिवालविंग चेयर की खरीद कार्यालय प्रयोग हेतु की गई। कार्यालय उपयोग हेतु फर्नीचर पर किया गया व्यय निधि पर उचित प्रभार नहीं है। जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व राशि की प्रतिपूर्ति उचित प्रभार से की जाए।

8 सांस्कृतिक गतिविधि निधिः–

यात्रा भत्ता बिल का ₹990/– का अनुचित भुगतानः–

वाउचर संख्या शून्य माह 10/13 द्वारा प्रदान ₹75500/– के अग्रिम समायोजन लेखें की पड़ताल में पाया गया कि श्री जी0सी0 शर्मा जो रोहड़ू में दिनांक 22.10.13 से 25.10.13

तक आयोजित यूथ फैस्टीवल में छात्रो के साथ गए थे के यात्रा भत्ता दावा में दिनांक 21.10.13 व 26.10.13 को शिमला में ठहराव (होटल चार्जिज) की राशि 990 का भुगतान बिना होटल रसीद के किया गया। वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन (सी) बी (1) 14/98 दिनांक 8.12.1998 व 2.6.2006 के पैरा 5 (3) में होटल ठहराव बिल की प्रतिपूर्ति होटल की रसीद प्रस्तुत करने पर ही की जा सकती है। अतः बिना होटल रसीद के ठहराव की प्रतिपूर्ति ₹990/– की वसूली सुनिश्चित की जाए।

9 हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रोनिकस निगम को प्रदान अग्रिम से ₹0.32 लाख की वसूली शेषः–

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रोनिकस निगम शिमला को 13 कम्पयूटर व अन्य असैसरिज की खरीद हेतु विभिन्न निधियों से ₹736380 का अग्रिम प्रदान किया गया जिसका विवरण निम्न प्राकर से हैः–

वाउचर	निधि का नाम	राशि
76 माह 3/15	समिश्रित निधि	567000
	पुस्तकालय निधि	56460
	क्रीड़ा निधि	56460
	एन0एस0एस0 (विविध)	56460
	कुल	**₹736380**

उपरोक्त अग्रिम से निगम द्वारा निम्न 3 बिलों द्वारा 13 कम्पयूटर व असैसरिज की आपूर्ति की गई।

बिल	राशि
1	505732
2	71500
3	118100
कुल	695332
निगम द्वारा दिनांक 9.4.15 को रिफण्ड	8694
योग	**704026**
(कुल समायोजन)	

अतः निगम को प्रदान कुल ₹736380/– के अग्रिम से कुल ₹704026/– का ही समायोजन हुआ शेष ₹736380(–) 704026=₹32354/– की राशि का निगम के साथ समाधान ही नहीं किया गया। जिसकी स्थिति स्पष्ट करके वसूली की जानी सुनियिश्चत की जाए।

(ख) उपरोक्त 13 कमपयूटर व असैसरिज को विभिन्न विभागाध्यक्षों को एक साधारण पृष्ठ पर हस्ताक्षर करवाकर जारी किया गया। खरीद की गई सामग्री को जारी करने हेतु विभिन्न विभागों के स्टॉक रजिस्टर में कम्पयूटरो व असैसरिज के क्रमाँक दर्शाते हुये प्रविष्टि की जाए जिसकी पुष्टि आगामी लेखा परीक्षण में करवाई जाए।

10 विभिन्न खरीद में नियमों की अनदेखीः–

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 98 के अनुसार 1 लाख से 10 लाख तक की खरीद हेतु एक प्रचलित व एक स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कर व कुटेशनें मांग कर सीमित निविदा प्रणाली द्वारा खरीद की जा सकती है। निम्न प्रकरणों में खरीद केवल कुटेशनों के आधार पर की गई।

निधि का नाम	वा0सं0	कुल खरीद की राशि	विवरण
समिश्रित निधि	37 माह 8/14	155769	भौतिकी हेतु खरीद
समिश्रित निधि	38 माह 8/14	154961	जौलोजी हेतु खरीद

अतः खरीद में नियमों की अनदेखी बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में खरीद नियमानुसार ही की जाए।

11 दर संविदा दरों पर खरीद न करने बारेः–

लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न खरीद कुटेशनों के आधार पर की गई।

निधि का नाम	वा0सं0	कुल खरीद व्यय	विवरण
समिश्रित निधि	48 माह 4/13	67764	मै0 विकास स्टील फर्नीचर से 16 लेक्चर स्टैण्ड व 2 ग्रीन बोर्ड
समिश्रित निधि	58 माह 5/13	61635	मै0 विकास स्टील फर्नीचर से 20 स्टील बैंच
समिश्रित निधि	87 माह 8/13	40000	मै0 शशी इम्पोरियम से 100 प्लास्टिक कुर्सियाँ

उपरोक्त खरीद दर संविदा दरो ंके आधार पर की जानी अपेक्षित थी। दर संविदा फर्मों की प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः दर संविदा दरो ंपर खरीद न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

12 प्रोस्पैक्टस बिक्री में ₹25210/– का संदिग्ध दुर्विनियोजनः–

महाविद्यालयों में प्रोस्पैक्टस की बिक्री छात्र संख्या से अधिक होती है लेकिन प्रोस्पैक्टस रजिस्टर की जाँच पड़ताल से पता चला कि वर्ष 2013–14 व 2014–15 में प्रोस्पैक्टस की बिक्री छात्र संख्या से काफी कम दर्शाकर आय प्राप्त हुई है।

वर्ष	स्टॉक रजिस्टर पृ0	प्रोस्पैक्टस की खरीद	जितने प्रोस्पैक्टस की बिक्री की गई	छात्र संख्या	छात्र सं0 से कम बिक्री प्रोस्पैटस	बिक्री दर	संदिग्ध दुर्विनियोजन
2013–14	147	1800	1216	1763	547	30	16410
2014–15	147	2000	1795	2015	220	40	8800
					कुल संदिग्ध दुर्विनियोजन		**25210**

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि प्रोस्पैटस की बिक्री छात्र संख्या से कम दर्शाकर ₹25210/– का संदिग्ध दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है। वर्ष 2013–14 व 2014–15 में शेष बचे प्रोस्पैक्टस का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन कर प्रोस्पैक्टस बिक्री की विभागीय जाँच की जाये व दोषी से वसूली के साथ यथोचित कार्रवाई की जाये।

13 विभिन्न निधियो ंकी ₹1396/– की राशि रोकड़ बही में दर्ज न करनाः–

अवधि 4/12 से 3/15 की फीस व निधि वसूली से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि विभिन्न निधियो की राशि 1396 को वसूली उपरान्त न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया है और न ही बैंक में जमा किया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः राशि को रोकड़ बही में न लेने का कारण स्पष्ट किया जाये व उचित स्त्रोत से वसूली करके राशियो ंको सम्बन्धित निधियों में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये। रोकड़ में दर्ज नहीं की गई राशियों का विवरण निम्नलिखित है।

दिनांक	निधि का नाम	वसूल की गई राशि	जमा करवाई गई राशि	कम जमा करवाई गई राशि
22.6.13	फर्नीचर निधि	740	—	740
22.6.13	स्वास्थ्य निधि	444	—	444
22.6.13	स्टूडेन्ट एड निधि	212	—	212
			कुल कम जमा राशि	**1396**

14 सरकारी कोष में ₹600/— की राशि कम जमा करवाने बारेः—

अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय के विद्यार्थियो से वसूली गई फीस जोकि सरकारी कोष में जमा की जानी अपेक्षित थी कि जांच में पाया गया कि दिनांक 26.6.13 व 27.6.13 को ₹16475 की राशि विद्यार्थियो से फीस के रूप में वसूली गई परन्तु चालान नं0 4 दिनांक 26.6.13 व चालान संख्या 3 दिनांक 27.6.13 के माध्यम से केवल ₹15875 की राशि ही सरकारी कोष में जमा करवाई गई अर्थात ₹600 सरकारी कोष में कम जमा करवाये गये। अतः कम जमा राशि को उचित स्त्रोत से वसूल कर सरकारी कोष में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

15 विश्वविद्यालय द्वारा प्राध्यापाकों को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु दिये जाने वाले (Remuneration) को महाविद्यालय की विश्वविद्यालय निधि में प्रविष्टि करने बारेः—

विश्वविद्यालय निधि की रोकड़ बही व बैंक पास बुक की जांच करने पर पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर दिये जाने वाले पारिश्रमिक की प्रविष्टि भी महाविद्यालय की युनिवर्सिटी फण्ड की बैंक पास बुक व रोकड़ बही में की गई थी।

रोकड़ बही में प्राप्त राशि से कितना भुगतान किया गया या प्राप्त राशि से अधिक भुगतान किया गया का पता लगा पाना इस प्रणाली से अत्यन्त कठिन है।

अतः महाविद्यालय को सुझाव दिया जाता है इस प्रक्रिया को अविलम्ब रोका जाये व विश्वविद्यालय से प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक के लिए एक अलग बैंक खाता खोला जाये व अलग से रोकड़ बही लगाई जाए जिससे कि प्राप्त राशि व भुगतान का सही पता लग सके। अवधि के दौरान विश्वविद्यालय से प्राप्त पारिश्रमिक राशियां जिन्हें महाविद्यालय की युनिवर्सिटी फण्ड में जमा किया गया का विवरण निम्नलिखित है।

दिनांक	कहां से प्राप्त हुआ	उद्देश्य	राशि	रोकड़ बही पृ0सं0
2.4.13	हिमाचल प्रदेश यूनि0	परिश्रमिक	75000	11

7.9.13	हिमाचल प्रदेश यूनि0	परिश्रमिक	20000	16
27.11.13	हिमाचल प्रदेश यूनि0	परिश्रमिक	20000	18
6.1.14	हिमाचल प्रदेश यूनि0	परिश्रमिक	90000	20
15.5.14	हिमाचल प्रदेश यूनि0	परिश्रमिक	150000	24
2.7.14	हिमाचल प्रदेश यूनि0	परिश्रमिक	120000	26
21.10.14	हिमाचल प्रदेश यूनि0	परिश्रमिक	15000	29
26.11.14	हिमाचल प्रदेश यूनि0	परिश्रमिक	7300	30
3.12.14	हिमाचल प्रदेश यूनि0	परिश्रमिक	150000	32
8.12.14	हिमाचल प्रदेश यूनि0	परिश्रमिक	16324	32
15.1.15	हिमाचल प्रदेश यूनि0	परिश्रमिक	32175	33
13.2.15	हिमाचल प्रदेश यूनि0	परिश्रमिक	8963	34
25.3.15	हिमाचल प्रदेश यूनि0	परिश्रमिक	160000	35

16 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 निष्कर्षः— लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी (15) (xii)(xi) 283/2000,7128&7130 दिनांक10.12.15, शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक, (उच्चत्तर शिक्षा) शिमला—171001
2. उप—निदेशक (उच्चत्तर शिक्षा) मण्डी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश
3. **पंजीकृत** प्राचार्य, राजीव गॉधी मैमोरियल, राजकीय महाविद्यालय, जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.